भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1929

जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

फसल ऋण

1929. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को रियायती दरों पर दिए गए फसली ऋणों के कारण सहकारी ऋण संस्थाओं/बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा है/हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन संस्थाओं/बैंकों को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुई हानियों और इसके कारणों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग) :भारत सरकार ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करती है जिसके अंतर्गत किसानों को 7% प्रति वर्ष की घटी हुई ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने पर प्रति वर्ष 1.5% की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को ऋण की शीघ्र चुकौती करने पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर कम होकर 4% हो जाती है।

इस योजना के अंतर्गत, सरकार ऐसे फसली ऋणों के लिए सीधे सहकारी बैंकों को 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है, जिससे बैंकों को अपने स्वयं के धन के उपयोग के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी बैंकों को अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) निधि के माध्यम से 4.5% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

*****